

कार्यालय कलेक्टर बैतूल मध्यप्रदेश एवं पदेन उप सचिव

म0प्र0शासन, राजस्व विभाग

प्र0क्र027अ-82/19-20/घाटपिपरिया/डोलीढाना/5338 बैतूल दिनांक $\frac{8}{9}$ -6-2020

घोषणा

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि के कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	घाटपिपरिया	1.409	काठी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0	अर्जित रकबा हे0
1	2	3	4	5
1	बलराम, पप्पू, मनीराम, बिरमती, कलसीया, तेली पिता रामदास, ओझे पिता रामदास जाति मेहरा, सा.देह	565/1	0.255	0.255
2	शिवजी, तुकाराम पिता अमरसिंह, गणराज, भुन्ना, हेमराज पिता शंकर, अंजनी, इन्दा पिता शंकर, जाति मेहरा, सा.देह	565/2	0.259	0.259
3	जसवंत पुत्र शंकर, मुरली पत्नी माधो, जाति मेहरा, सा.देह	567	0.166	0.166
4	सुशीला पत्नी रामलाल, सा.देह	566 570	0.299 0.150	0.449
5	कुन्जीलाल, रावजी पिता ढोल, रावजी, शिवपाल पिता माधो, जाति भोयर, सा.देह	572	0.226	0.080
6	धारा रामप्यारी पिता मोधे, जसवंत पिता शंकरसिंग, कुसुमवती, रामकिसन पिता मोधे, जाति पंवार, सा.देह	568	0.631	0.200
योग:-			1.986	1.409

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे0में)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म0प्र0)	मुलताई	डोलढाना	1.258	काठी लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे0	अर्जित रकबा हे0
1	2	3	4	5
1	फागू पुत्र शिवजी, जाति पंवार, सा.देह	22 28/3	0.184 0.081	0.072 0.060
2	पन्ना पुत्र इठोबा, जाति पंवार, सा.देह	21	0.121	0.121

(Handwritten Signature)

3	सतीश, जितेन्द्र पिता बाबूलाल, जाति पंवार, सा.देह	19	1.173	0.573
4	जसवंत पुत्र शंकर, मुरली पत्नी माधो, जाति मेहरा, सा.देह	165	0.212	0.212
5	रामकिशन, धारा पुत्र माधो, रामप्यारी, कुसुमवती, पुत्री माधो, मुलती बेवा माधो, जसवंतसिंग पुत्र शंकरसिंग, कुशलिया बेवा शंकरसिंग, जाति मेहरा, सा.देह	164	0.424	0.220
	योग:-		2.195	1.258

(2) चूंकि काठी लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि का पूरक अर्जन प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की बेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,




(राकेश सिंह)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

२

पृ0क0 27 अ-82/19-20/ घाटपिपरिया-डोलढाना /5338 बैतूल दिनांक 8/9-6-2020
प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में)अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन बैतूल जिले के सर्वाधिक प्रकाशित दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन की पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित। एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं ग्राम पंचायत पर चस्पा करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित। प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।


अपर कलेक्टर एवं
प्र0अ0भू-अर्जन बैतूल

2